प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 666/2007

अपीलार्थी: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: शिवनाथ एवं अन्य

आदेश हेतु विचार

सही/-

न्यायमूर्ति

10-8-2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, **न्यायमूर्ति**

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

दिनांक **14-9-2007** को **आदेश हेतु सूचीबद्ध**:

सही/-

एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

<u>उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

<u>विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र.</u> <u>666/2007</u>

<u>अपीलार्थी:</u> ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, शाखा कार्यालय अंबेडकर

उत्तरवादी क्र. 3. चौक मनेंद्रगढ़ रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.

मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी: 1.</u>

दावेदार क्र. 1: शिवनाथ, उम्र 48 वर्ष, पिता राम प्रसाद।

<u>प्रत्यर्थी: 2.</u>

दावेदार क्र. 2: सीतापति, पति शिवनाथ साहू, उम्र 40 वर्ष।

<u>प्रत्यर्थी: 3.</u>

दावेदार क्र. 3: आशा कुमारी, दिवंगत पति राजकुमार साहू, उम्र 24 वर्ष।

<u>प्रत्यर्थी: 4.</u>

दावेदार क्र. 4: प्रियंका नाबालिग, दिवंगत पिता राजकुमार साहू, उम्र 3 वर्ष।

<u>प्रत्यर्थी: 5.</u>

दावेदार क्र. 5: विवेक कुमार नाबालिग, दिवंगत पिता राजकुमार साहू, उम्र 7 माह।

प्रत्यर्थी क्र. 1 से 5 निवासी: ग्राम मदनेश्वरपुर, थाना: रामानुजनगर, सूरजपुर, जिला सरगुजा।

प्रत्यर्थी क्र 4 एवं 5 (नाबालिग), द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती आशाकुमारी, दिवंगत पति राजकुमार साहू, उम्र 24 वर्ष।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>**प्रत्यर्थी: 6.**</u>

उत्तरवादी क्र. 1: मुरारी लाल साहू, उम्र 30 वर्ष, पिता सोनाई राम साहू, व्यवसाय: वाहन का मालिक, निवासी: मानपुर, सूरजपुर ,थाना/तहसील: सूरजपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)।

<u>**प्रत्यर्थी: 7.**</u>

उत्तरवादी क्र. 2: संतोष कुमार जायसवाल, उम्र 25 वर्ष, पिता श्री माणिकचंद जायसवाल, व्यवसाय: वाहन चालक, निवासी: ग्राम देदारी (साल्क), थाना/तहसील: सूरजपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)।

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>**उपस्थित:**</u>

श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अली असगर, अधिवक्ता के साथ: अपीलार्थी की ओर से।

श्री सुशील दुबे, अधिवक्ता: उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से।

<u>कोरम:</u> माननीय श्री एल.सी. भादू और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति ।

<u>**आदेश**</u>

(दिनांक 14 अगस्त, 2007 को पारित)

<u>न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश **श्री एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया:-</u>

1. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, बीमाकर्ता ने, दिनांक 31 जनवरी, 2007 को तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफटीसी), सूरजपुर द्वारा पारित निर्णय की वैधता और तथ्यात्मकता को चुनौती देते हुए यह विविध अपील दायर की है। यह निर्णय दावा वाद क्रमांक 14/2006 में पारित किया गया था। इसमें अधिकरण ने अपीलार्थी और उत्तरवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से 4,30,000/- रुपये का अवार्ड पारित किया है। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि दावेदारों को दावा याचिका दाखिल करने की तिथि यानी 8-12-2005 से 6% की दर से ब्याज प्राप्त होगा।

2. स्थगन हेतु आवेदन पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध था। चूँकि इस मामले में एक ही बिंदु शामिल है, इसलिए इस अपील का निराकरण प्रारंभिक स्तर पर ही करने का निर्णय लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 8-11-2005 को राज कुमार साहू (मृतक) जय भवानी बस सेवा के वाहन में यात्रा कर रहे थे, जिसका पंजीकरण क्रमांक: सीजी10-जेडए/0128 था। यह बस सूरजपुर से देवनगर जा रही थी। बस देवनगर में मिस्त्री की दुकान के सामने रुकी। बस रुकने पर, राज कुमार साहू (मृतक) बस से उतर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर जमीन पर रखा, अचानक बस चालक संतोष कुमार जायसवाल ने लापरवाही से बस को चलाया, जिसके परिणामस्वरूप राज कुमार साहू बस से गिर गए और बस के पिछले पहिये के नीचे आ गए। उन्हें चोटें आईं। उन्हें जयनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें अंबिकापुर ले जाने की सलाह दी। उन्हें अंबिकापुर के मिशन अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान रात में उनकी मृत्यु हो गई।

4. दावेदारों के अनुसार, राज कुमार साहू की उम्र लगभग 26 वर्ष थी और वे पेशे से बढ़ई थे। वे कृषि कार्य भी करते थे। दावेदारों ने दावा किया कि राज कुमार साहू प्रति माह 4000 रुपये कमाते थे। दावा याचिका माता, पिता, विधवा और

दो नाबालिग बच्चों द्वारा बस के मालिक, चालक और बीमा कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी। अन्य आपत्तियों के अलावा, बीमा कंपनी/ अपीलार्थी ने यह आपत्ति उठाई कि घटना में शामिल वाहन 8-2-2005 से 7-2-2006 तक 18 या अनुज्ञा पत्र त्रियों के लिए वाणिज्यिक यात्री वाहन के रूप में बीमाकृत था, और केवल वैध और प्रभावी वाले चालक को ही वाहन चलाने का अधिकार था। दुर्घटना के दिन, वाहन के पास वैध परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। उत्तरवादी क्रमांक 2, चालक के पास वाणिज्यिक वाहन चलाने का वैध और प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था। इसलिए, दावा याचिका में उत्तरवादी क्रमांक1 और 2, अर्थात् मालिक और चालक, मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

5. बीमा कंपनी ने मुख्य रूप से इस आधार पर अपील दायर की है कि दुर्घटना के समय संतोष कुमार जायसवाल वाहन चला रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने केवल यही सीमित बिंदु उठाया कि चालक के पास वैध और प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था, जिससे नीति का उल्लंघन हुआ है, इसलिए कंपनी मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 6 के अधिवक्ता श्री सुशील दुबे ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी ने आरटीओ अभिलेख या आरटीओ कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह स्थापित करे कि चालक के पास वैध और अनुज्ञा पत्र प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था, और यह भी कि मालिक ने जानबूझकर बिना वैध और प्रभावी के वाहन चलाने की अनुमति दी थी। स्वर्ण सिंह के मामले और ईश्वर चंद्र और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2007 (2) सीसीसी 225 (सर्वोच्च न्यायालय)) के मामले का अवलंब लेते हुए, उन्होंने आगे तर्क दिया कि दुर्घटना इस तथ्य के कारण नहीं हुई कि चालक के पास वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था।

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, हमने अभिलेख का अवलोकन किया है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया:-

> “दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे के दावों में, ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र की शर्तों के संबंध में विभिन्न प्रकार के उल्लंघन अधिकरण के समक्ष विचार के लिए उठते हैं। एक व्यक्ति के पास ‘गियर के बिना मोटरसाइकिल’ के लिए ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र है, जिसके लिए उसके पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं है। ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं, जहां ‘हल्के मोटर वाहन’ के ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र धारक को ‘मैक्सी-कैब’, ‘मोटर-कैब’ या ‘ऑम्निबस’ चलाते हुए पाया जाता है, जिसके लिए उसके पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं है। प्रत्येक मामले में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाना है कि क्या चालक के पास एक प्रकार के वाहन का अनुज्ञा पत्र होने पर भी वह दूसरे प्रकार का वाहन चलाता पाया गया, यह तथ्य दुर्घटना का मुख्य या सहायक कारण था। यदि तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि दुर्घटना केवल कुछ अन्य अप्रत्याशित या बीच में आने वाले कारणों लाइसेंस, जैसे यांत्रिक खराबी और इसी तरह के अन्य कारणों से हुई, जिनका चालक के पास अपेक्षित प्रकार का अनुज्ञा पत्र न होने से कोई संबंध नहीं है, तो बीमाकर्ता को केवल ड्राइविंग से संबंधित शर्तों के तकनीकी उल्लंघन के लिए अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।“

1. 2004 (1) टी.ए.सी. 321 (एस.सी.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **स्वर्ण सिंह** के मामले (पूर्वोक्त) को ध्यान में रखते हुए, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय और अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने **2006 एसीजे 1336** में यह निर्णय दिया:-

> "चालक के पास हल्के मोटर वाहन को चलाने का अनुज्ञा पत्र था, लेकिन वह एक जीप चला रहा था जिसे टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक व्यावसायिक वाहन था। क्या बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया था और क्या बीमा कंपनी देयता से मुक्त है? निर्णय: हाँ; चालक के पास व्यावसायिक वाहन चलाने का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था; बीमा कंपनी निष्पादन न्यायालय में कार्यवाही शुरू करके भुगतान की गई राशि की वसूली कर सकती है।"

10. इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि टैक्सी को राम लाल, चालक द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था। टैक्सी का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था। कार्यवाही के दौरान उठाए गए विषयों में से एक यह था कि क्या उक्त जीप के चालक के पास वैध और प्रभावी अनुज्ञा पत्र था, एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या उक्त राम लाल उक्त वाहन चला रहा था। न्यायालय ने यह माना कि चालक व्यावसायिक वाहन चला रहा था, इसलिए उसके पास उपयुक्त अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक था। राम लाल केवल हल्के मो अनुज्ञा पत्र टर वाहन चलाने के अनुज्ञा पत्र के धारक थे। उनके पास व्यावसायिक वाहन चलाने का कोई नहीं था। स्पष्ट रूप से, इसलिए, बीमा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, अपीलार्थी, उक्त बचाव उठा सकता था। इस प्रकृति के मामले में, इसलिए, वाहन का मालिक यह तर्क नहीं दे सकता कि उसके पास वाहन चालक के पास वैध अनुज्ञा पत्र था या नहीं, इस तथ्य को सत्यापित करने की कोई देयता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. **मल्ला प्रकाशराव बनाम मल्ला जानकी** के मामले में **(2004) 3 एससीसी 343** में शीर्ष अदालत ने यह माना कि:

> “इसमें कोई विवाद नहीं है कि वाहन चालक का ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र 20.11.1982 को समाप्त हो गया था और चालक ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 11 के तहत अपेक्षित अनुज्ञा पत्र की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। यह भी विवादित नहीं है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र नहीं था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बिना ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र वाले चालक द्वारा चलाए जा रहे वाहन से दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस दृष्टिकोण से, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती।

12. **स्वर्ण सिंह** (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि:-

> “मालिक के प्रति बीमा कंपनी का दायित्व कई कारकों पर निर्भर करेगा। यदि चालक के पास अनुज्ञा पत्र ही नहीं है, तो मालिक मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। मालिक का यह दायित्व था कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरते कि चालक के पास वाहन चलाने के लिए उपयुक्त अनुज्ञा पत्र हो।“

13. प्रस्तुत मामले में भी, अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा लिया गया बचाव यह था कि चालक संतोष कुमार जायसवाल बस, एक वाणिज्यिक यात्री वाहन, को वैध और प्रभा अनुज्ञा पत्र वी अनुज्ञा पत्र के बिना चला रहा था, क्योंकि उसके पास केवल हल्के मोटर वाहन चलाने का था। वह वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। बीमा कंपनी ने अपने विकास अधिकारी ए.पी. गुप्ता की जांच की है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन जिसका पंजीकरण संख्या सी.जी.10-जेडए/0128 है, को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, अंबिकापुर के साथ 8-2-2005 से 7-2-2006 तक यात्री वाणिज्यिक वाहन के रूप में बीमाकृत किया गया था। बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी/4 है। पॉलिसी के बी से बी भाग में यह उल्लेख किया गया है कि केवल वैध और प्रभावी अनुज्ञा पत्र रखने वाला चालक ही वाहन चला सकता है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी/5 है। ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति प्राप्त करने के बाद, अन्वेषक नंद किशोर दुबे ने आरटीओ कार्यालय, अंबिकापुर से अनुज्ञा पत्र का सत्यापन करवाया। उनका पत्र प्रदर्श डी/6 है। आरटीओ प्रमाण-पत्र प्रदर्श डी/7 है। प्रदर्श डी/6 और डी/7 के अनुसार, चालक हल्के मोटर वाहन चलाने का हकदार था। वह बस, वाणिज्यिक वाहन चलाने का हकदार नहीं था। चालक संतोष कुमार जायसवाल वाहन संख्या सी.जी.10-जेडए/0128 को कानूनी रूप से चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। इसलिए, बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वाहन के मालिक मुरारीलाल साहू ने स्वयं की परीक्षा दी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन, अर्थात मिनी बस, सूरजपुर से सिरमिना के बीच यात्री वाहन के रूप में संचालित हो रही थी। बीमा पॉलिसी प्रदर्श डी/1 है। छायाप्रति प्रदर्श डी/1-सी है। वाहन का पंजीकरण प्रदर्श डी/2 है। छायाप्रति प्रदर्श डी/2-सी है। ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र प्रदर्श डी/3 है। ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श डी/3-सी है। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने कहा है कि वह 3 बसों का मालिक है। यह सही है कि वह अंग्रेजी जानता है। यह सही है कि बीमा पॉलिसी में यह लिखा गया है कि बस को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित और चलाया जाएगा। यह सही है कि ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र प्रदर्श डी/3 में आरटीओ ने लिखा है कि एलएमवी अर्थात हल्के मोटर वाहनों के लिए: 407 बस एक हल्का मोटर वाहन है। यह कहना गलत है कि यात्री बस चलाने के लिए चालक के अनुज्ञा पत्र में आरटीओ को पीएसवी के रूप में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है, पीएसवी केवल अनुभव के आधार पर दिया जाता है। यह कहना गलत है कि चालक को ड्राइविंग का अनुभव नहीं था। वह पिछले 5 वर्षों से बस चला रहा था। यह गलत है कि बस बीमा पॉलिसी के उल्लंघन में चलाई जा रही थी।

14. प्रमाण-पत्र-सह-पॉलिसी अनुसूची प्रदर्श डी/4 के अवलोकन से पता चलता है कि पॉलिसी के प्रकार के विरुद्ध यह लिखा गया है कि वाणिज्यिक वाहन ले जाने वाली बस। संतोष कुमार जायसवाल के ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र की प्रदर्श

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

डी/3-सी छायाप्रति दर्शाती है कि यह केवल एलएमवी के लिए था। अनुज्ञा पत्र पर कोई पृष्ठांकन नहीं है कि वह वाणिज्यिक वाहन चलाने का हकदार था। यह निर्विवाद है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन वाणिज्यिक वाहन था। इसे यात्री ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहन के रूप में बीमाकृत किया गया था। पॉलिसी के अनुसार, इसे 18 यात्रियों के लिए बीमाकृत किया गया था। निश्चित रूप से, वाहन चलाते समय अनुज्ञा पत्र चालक संतोष कुमार के पास केवल हल्के मोटर वाहन का अनुज्ञा पत्र था, आरटीओ द्वारा पर कोई पृष्ठांकन नहीं था कि वह वाणिज्यिक हल्के मोटर वाहन अर्थात यात्री बस चलाने का हकदार था, इसलिए यह बस के मालिक के ज्ञान में था। इसलिए, निश्चित रूप से, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 (2) के तहत परिकल्पित पॉलिसी का उल्लंघन था।

15. अब, वर्तमान विषय पर आते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन के अनुसार **स्वर्ण सिंह** के मामले (पूर्वोक्त) में, प्रत्येक मामले में साक्ष्य पर यह निर्णय लेना होता है कि क्या वाहन के एक प्रकार का अनुज्ञा पत्र रखने वाले चालक द्वारा दूसरे प्रकार के वाहन को चलाने का तथ्य दुर्घटना का मुख्य या योगदानकर्ता कारण था। यदि तथ्यों में यह पाया जाता है कि दुर्घटना केवल कुछ अप्रत्याशित या हस्तक्षेप करने वाले कारणों जैसे यांत्रिक विफलताओं और इसी तरह के अन्य कारणों के कारण हुई है जिनका चालक के पास अपेक्षित प्रकार का अनुज्ञा पत्र न होने से कोई संबंध नहीं है, तो बीमाकर्ता को केवल शर्तों के तकनीकी उल्लंघन के लिए अपनी देयता से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र से संबंधित हैं। उपरोक्त **स्वर्ण सिंह** का मामला (पूर्वोक्त) **इश्वर चंद्र और अन्य** के मामले (पूर्वोक्त) में भी निर्भर किया गया है।

16. वर्तमान मामले में, न तो चालक और न ही परिचालक की जांच की गई है ताकि इस बात का खंडन किया जा सके कि दुर्घटना चालक संतोष कुमार जायसवाल के लापरवाह और लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई थी, क्योंकि दावेदारों के मामले के अनुसार जब बस रुकी हुई थी, राज कुमार को उतरने के लिए कहा गया था, और जब तक राज कुमार ने अपना एक पैर जमीन पर रखा, चालक ने बस को लापरवाह और लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाया, जिससे राज कुमार गिर गया और पीछे के टायर के नीचे आ गया। साक्षी क्रमांक 3 अर्थात् राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटना के समय वह अपने भाई की दुकान पर 20 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ था। शोर सुनकर वह बस के पास

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पहुँचा। मृतक राज कुमार बस से उतर रहा था। दुर्घटना इस तथ्य के कारण हुई कि चालक ने बस चलाई। बस के मालिक या चालक की ओर से उपरोक्त साक्ष्य का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बस के मालिक या चालक का कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि दुर्घटना केवल कुछ अन्य अप्रत्याशित या हस्तक्षेप करने वाले कारणों जैसे यांत्रिक विफलताओं और इसी तरह के अन्य कारणों के कारण हुई है जिनका चालक के पास अपेक्षित प्रकार का अनुज्ञा पत्र न होने से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, यह स्थापित है कि दुर्घटना चालक संतोष कुमार जायसवाल की लापरवाह और लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई थी। इसलिए, न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि बीमा कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी है, पूर्वोक्त कारणों से सही नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलार्थी बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए, हम **कुसुम राय** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अपने विचार में दृढ़ हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. दावेदार गरीब पृष्ठभूमि से हैं। उन्हें मानसिक पीड़ा भी हुई है। परिस्थितियों को देखते हुए, वाहन के मालिक से राशि वसूल करने के लिए उन्हें बाध्य करना उचित नहीं हो सकता है। इसलिए,

अपीलार्थी बीमा कंपनी को निर्णय के अनुसार दावेदारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, उसके बाद बीमा कंपनी कानून के अनुसार वाहन के मालिक से राशि वसूल कर सकती है।

18. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध मे कोई आदेश नहीं किया जा रहा हैं।

सही/-	**सही/-**
एल.सी. भादू	**सुनील कुमार सिन्हा**
न्यायमूर्ति	**न्यायमूर्ति**

___00___

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur